प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,** दुग्ध विभाग, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, वन्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मत्स्य विभाग, रेशम विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पशुधन विभाग, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति/जल संसाधन विभाग, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- **कृषि निदेशक**, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 20 फरवरी 2024**

विषय- **उत्तर प्रदेश में कृषि एवं कृषि सम्वर्गीय विभागों/संस्थाओं के कार्यक्रमों के माध्यम से समग्र कृषि विकास के सिद्वान्तों की प्राप्ति हेतु राज्य कृषि विकास योजना (State Agriculture Development Programme) के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नोडल अधिकारी , राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि भवन, लखनऊ के पत्र संख्या-रा0कृ0वि0यो0/350/एस0ए0डी0पी0-आर0/2023-24, दिनांक 11.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त प्रस्ताव दिनांक 11.09.2023 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कृषि एवं कृषि सम्वर्गीय विभागों/संस्थाओं के कार्यक्रमों के माध्यम से समग्र कृषि विकास के सिद्वान्तों की प्राप्ति हेतु राज्य कृषि विकास योजना (State Agriculture Development Programme) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- योजना के मुख्य उद्देश्य :-

राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में अभिसरण (Convergence) के माध्यम से कृषि विविधीकरण तथा समग्र विकास, कृषकों की आय में वृद्धि के साथ-साथ लक्षित वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त करते हुए निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करना है :-

(i) कृषकों की आय में गुणात्मक वृद्धि करना।
(ii) मूल्यसंवर्धन सम्बन्धी क्रिया-कलापों को बढ़ावा देना।
(iii) उन्नतशील बीज एवं गुणवत्तायुक्त पौधरोपड़ सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
(vi) कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना।
(v) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास एवं क्षमतावर्धन करना।
(vi) एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(vii) औद्यानिक एवं ऊतक संवर्धन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।

(viii) मत्स्य एवं दुग्ध विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।

(ix) अतिवृष्टि एवं सूखे की स्थिति में आकस्मिक योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

(x) औषधीय पौधो की खेती को बढ़ावा देना।

3. पात्रता मापदण्ड :-

(i) राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार/राज्य सरकार के अधीन कृषि एवं सम्वर्गीय विभाग /संस्थाएं आदि वित्तपोषण के पात्र होंगे। सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं के स्तर पर पर्याप्त मैनपॉवर उपलब्ध हो और बजट अभाव के कारण नवोन्वेषी कार्यक्रमों का संचालन/परिचालन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे समस्त राज्य सरकार/राज्य सरकार के अधीन विभाग/संस्थाओं की परियोजनाओं के वित्त पोषण को वरीयता दी जायेगी। योजनान्तर्गत नवोन्मेषी कार्यकलाप, कृषि शिक्षा एवं शोध क्षेत्र में अवस्थापना वृद्धि, परिशुद्ध कृषि (Precision Agriculture) हेतु अवस्थापना/गतिविधियॉ एवं कृषि ड्रोन आदि कार्यक्रमों को वरीयता दी जायेगी।

(ii) राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र को वित्त पोषण नहीं किया जाएगा परंतु अपवाद के रूप में निजी कृषि विज्ञान केन्द्रों को धनराशि उपलब्ध करायी जा सकेगी। निजी कृषि विज्ञान केन्द्र आदि के कार्यक्रमों/परियोजनाओं का सामान्यत: सीधे वित्तपोषण प्रतिबन्धित रहेगा। ऐसी संस्थाएं अपने राजकीय अथवा केन्द्रीय पैतृक विभाग/संस्थान के माध्यम से परियोजना प्रस्तुत कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) का अनुमोदन अन्तिम माना जायेगा तथा स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि सम्बन्धित राजकीय/केन्द्रीय पैतृक विभाग/संस्थान के पक्ष में निर्गत की जायेगी। सम्वर्गीय विभाग उक्त का समन्वय करते हुए कार्यो का वृहद अनुश्रवण कर प्रगति रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि कृषि विभाग को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. योजना के मुख्य घटक :-

राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में विभागों/संस्थाओं को निम्नलिखित स्ट्रीम के लिए योजनान्तर्गत निधियॉ प्रदान की जायेगी :-

(क) क्षमता एवं कौशल विकास कार्यक्रम - वार्षिक परिव्यय का 25 प्रतिशत,

(ख) कृषि सेक्टर में अवसंरचना एवं परिसम्पत्ति सृजन - वार्षिक परिव्यय का 50 प्रतिशत

(i) नवीन अवसंरचना एवं परिसम्पत्ति सृजन- 30 प्रतिशत

(ii) स्थापित अवसंरचना एवं परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण/वृहद् जीर्णोद्धार-10 प्रतिशत

(iii) नवोन्मेषी (Innovative) कार्यक्रम - 10 प्रतिशत

(ग) उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम- वार्षिक परिव्यय का 25 प्रतिशत (उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम के साथ-साथ निर्धारित 25 प्रतिशत परिव्यय के अन्तर्गत ही योजना के परिचालनात्मक कार्यो के लिए प्रशासनिक मदों में 2 प्रतिशत धनराशि व्यय की जा सकेगी।)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4.1 (क) क्षमता एवं कौशल विकास कार्यक्रम-इस स्ट्रीम के अन्तर्गत राजकीय कर्मचारियों के अन्तर्राज्यीय क्षमता विकास कार्यक्रम सम्मिलित होगें। साथ ही राजकीय अधिकारियों के अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मिलित होगें। इसके अतिरिक्त विस्तार सेवाओं के प्रोत्साहन हेतु कौशल विकास के लिए नई पहलें, क्षमतावर्धन/कौशल विकास कार्यक्रम तथा कृषक समुदाय के प्रशिक्षण, फार्म मैकेनाइजेशन, सोलर सिंचाई पम्प, कृषि ड्रोन, कम्बाईन हार्वेस्टर तथा प्राकृतिक खेती, मिलेट्स प्रसंस्करण (श्री अन्न) आदि सम्मिलित होगें। योजनान्तर्गत प्रदेश/मण्डल/ जनपद स्तरीय बृहद मेला/प्रदर्शनी/कार्यशाला आदि आयोजन सम्बन्धी कार्यक्रम भी सम्मिलित होंगे।

4.1 (ख) अवसंरचना एवं परिसम्पत्ति - इस स्ट्रीम के अन्तर्गत सामान्यत: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अन्तर्गत नवीन अवसंरचनाओं की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वास्तविक उपलब्धता तथा विभागों में कृषि अवसंरचना में अन्तर नामत: प्रयोगशालाओं की स्थापना व परीक्षण सुविधा है, भण्डारण सुविधाओं का विकास, मोबाईल मल्टी-यूटिलिटी वैन, कृषि निवेश केन्द्र, कृषि रक्षा इकाई, कृषि विपणन आदि के आधार पर चुनी गई परियोजनायें शामिल होंगी। सम्भावित अवसंरचना एवं परिसम्पत्तियाँ, जिन्हें इस स्ट्रीम के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है, की सूची शासनादेश के साथ संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

(i) संलग्न कार्यक्रमों की सूची उदाहरणात्मक (illustrative) है। प्रदेश एवं सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं/स्थानीय समसामयिक आवश्यकताओं के अनुसार वांछित अवस्थापना/परिसम्पत्ति सृजन सम्बन्धी कार्यक्रम/गतिविधियाँ राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) के अनुमोदन से सम्मिलित किये जा सकेंगे।

(ii) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में स्थापित अवसंरचनाओं की सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर/बाउण्ड्रीवाल/फेन्सिंग आदि की सुविधायें अनुमन्य होंगी।

(iii) समस्त निर्माणपरक कार्य यू0पी0पी0डब्लू0डी0 की प्रचलित दरों पर ही अनुमन्य होगें।

4.1(ग) उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम- इस स्ट्रीम के अन्तर्गत ऐसे उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम उदाहरणत: उन्नतशील प्रजातियों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन/पौध रोपण सामग्री/पशुओं का टीकाकरण/मत्स्य बीज उत्पादन आदि कार्य सम्मिलित किये जायेगें, जो कि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की अन्य किसी योजना में सम्मिलित अथवा वित्त पोषित नहीं है। इस आशय का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा कार्ययोजना के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

4.1 (घ) योजनान्तर्गत व्यक्तिगत कृषकों को अनुदान सम्बन्धी परियोजनाएं/कार्यक्रम सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

5. परियोजनाओं के लागत मानक एवं प्रतिमान निर्धारण :-

राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित घटकों हेतु निम्नवत् लागत मानक (Cost Norms) एवं वित्तीय प्रतिमान (Funding Pattern) निम्नवत प्रभावी होंगे :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(क) क्षमता एवं कौशल विकास आदि कार्यक्रमों के लिए नार्म्स एवं पैटर्न राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की भॉति (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत अनुमोदित नार्म्स एवं पैटर्न के अनुसार) पर अनुमन्य होंगे।

(ख) योजनान्तर्गत प्रस्तावित निर्माणपरक कार्य यू0पी0पी0डब्लू0डी0 की अद्यतन दरों पर ही अनुमन्य होंगे।

(ग) नवोन्मेषी/अन्य नवीन गतिविधियॉ जिनके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी योजना में नार्म्स/पैटर्न स्वीकृत नहीं हैं, की दरों के निर्धारण हेतु कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर से गठित तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। गठित समिति की संस्तुतियों का परीक्षण **राज्य स्तरीय परियोजना जॉच एवं अनुश्रवण समिति (State Level Project Screening and Monitoring Committee)** द्वारा किया जायेगा तथा अन्तिम रूप से राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति (SLSC) का अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

6. परियोजनाओं का निरूपण एवं अनुमोदन :-

6.1- परियोजनाओं का निरूपण :- योजनान्तर्गत सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की कार्ययोजनायें विभागीय/राजकीय मानकों के अनुसार तैयार की जायेगी तथा अपने विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव से संस्तुत कराकर नोडल विभाग (कृषि विभाग) को अनुमोदनार्थ उपलब्ध करायी जायेगी।

6.2- परियोजनाओं का अनुमोदन :- राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं के अनुमोदन से पूर्व परियोजनाओं के परीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परियोजना जॉच एवं अनुश्रवण समिति (State Level Project Screening & Monitoring Committee) गठित की जायेगी। तदोपरान्त एस.एल.पी.एस.एम.एस. समिति की संस्तुतियों के साथ मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति (State Level Sanctioning Committee) के अनुमोदनोपरांत परियोजनाओं का वित्त पोषण एवं क्रियान्वयन किया जायेगा।

6.3- राज्य स्तरीय परियोजना जॉच एवं अनुश्रवण समिति (SLPSMC) :- राज्य कृषि विकास योजना के परियोजना प्रस्तावों की जॉच एवं अनुश्रवण के लिए शासन स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परियोजना जॉच एवं अनुश्रवण समिति (SLPSMC) का गठन निम्नवत् किया जायेगा :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन	उपाध्यक्ष
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पशुपालन, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गन्ना एवं चीनी, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मत्स्य , उ0प्र0 शासन	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास, उ0प्र0 शासन	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं वानिकी, उ0प्र0 शासन	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ0प्र0 शासन	सदस्य
13	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति/जल संसाधन, उ0प्र0 शासन	सदस्य
14	कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव
15	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	सदस्य
16	निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य
17	सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष (आवश्यकतानुसार बैठक में प्रतिभाग हेतु)	सदस्य
18	उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि	सदस्य

6.4- उपरोक्तानुसार गठित राज्य स्तरीय परियोजना जॉच एवं अनुश्रवण समिति (SLPSMC) समिति की अध्यक्षता कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की जाएगी। राज्य स्तरीय परियोजना जॉच एवं अनुश्रवण समिति (SLPSMC) के दायित्व एवं अधिकार निम्नवत् होगें :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(i) समस्त परियोजना प्रस्तावों की जॉच तथा प्रस्तावित घटकों के संबंध में तकनीकी आवश्यकताओं/मानकों और वित्तीय प्रतिमान को (लागत प्रतिमानों और सहायता पैटर्न) इत्यादि निर्धारित किये जायेगे।

(ii) प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार की अन्य स्कीमों के अन्तर्गत उपलब्ध और राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत उन्हें लाये जाने से पूर्व प्रयुक्त निधियों का मूल्यांकन करना।

(iii) योजनान्तर्गत परियोजनाओं/कार्यकलापों में राज्य सरकार की अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों की तुलना में सहायता/क्षेत्र व्यक्ति की कोई द्विरावृत्ति या अतिव्याप्ति उत्पन्न न हो।

(iv) डी0पी0आर0 में मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए प्राविधान सम्मिलित किये गये हैं।

(v) विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई सभी परियोजनायें उपादेय हैं।

(vi) योजनान्तर्गत प्रस्तावित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद (UPCAR) की संस्तुति प्राप्त कर ली गयी है और परियोजनाओं हेतु योजना के परिव्यय का 5 प्रतिशत आउटले निर्धारित किया गया है।

(vii) नवोन्मेषी (Innovative) कार्यक्रमों हेतु योजना के परिव्यय का 5 प्रतिशत आउटले निर्धारित करना।

(viii) अन्य राज्य/केन्द्रीय स्कीमों के साथ अभिसरण (Convergence) का प्रयास किया गया है।

6.5- राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (State Level Sanctioning Committee) :- राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0सी0) की संरचना निम्नवत् होगी :-

1	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन	उपाध्यक्ष
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य-सचिव
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पशुपालन, उ0प्र0 शासन	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गन्ना एवं चीनी, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मत्स्य, उ0प्र0 शासन	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास, उ0प्र0 शासन	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं वानिकी, उ0प्र0 शासन	सदस्य
13	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ0प्र0 शासन	सदस्य
14	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति/जल संसाधन	सदस्य
15	कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
16	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	सदस्य
17	निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य
18	निदेशक, मत्स्य विभाग	सदस्य
19	निदेशक, रेशम विभाग	सदस्य
20	उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि	सदस्य

उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त प्रदेश स्तर पर अन्य विषय विशेषज्ञ तथा अग्रणी कृषकों के 02 सदस्य मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के अनुमोदन से सम्मिलित किये जा सकेंगे।

6.6- राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.सी.) के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् होंगे :-

(i) योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति।

(ii) योजना की प्रत्येक शाखा के अन्तर्गत स्वीकृत की गई प्रत्येक परियोजनाओं के प्रगति की मानीटरिंग करना।

(iii) योजना/परियोजना के उद्देश्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजनाएं/स्कीमें निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की गई है।

(iv) यह सुनिश्चित करना कि प्रयास या संसाधनों की द्विरावृति नहीं हुई है,

(v) परियोजनाओं का कार्यान्वयन मानीटरिंग करने के लिए फील्ड अध्ययन प्रारम्भ/ चालू करना।

(vi) आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर अध्ययनों का मूल्यांकन प्रारंभ करना।

(vii) यह सुनिश्चित करना कि परियोजनाओं में वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में कोई अन्तर-जिला विसंगतियां नहीं है।

(viii) यह सुनिश्चित करना कि योजना के दिशानिर्देशों का अनुसरण किया गया है ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर उठाए गए व्यय में किफायत के सम्बन्ध में न्यूनतम बताया गया है और वित्तीय संपत्ति, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के अनुरूप भी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ix) समिति यह सुनिश्चित भी करेगी कि प्रस्तावित परियोजनाओं में पूर्व स्थापित वित्तीय स्रोत का प्रतिस्थापन नहीं किया गया।

एस.एल.एस.सी. की बैठक आवश्यकतानुसार अथवा 06 माह में एक बार आयोजित की जाएगी।

6.7- राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कृषि निदेशालय स्तर पर आर0के0वी0वाई0 के अन्तर्गत गठित प्रकोष्ठ के कार्मिकों के माध्यम से समन्वय तथा अनुश्रवण के कार्य कराये जाऐंगे।

7. अनुमोदित परियोजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति एवं अन्तरण प्रक्रिया :-

राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृतियॉ एवं अन्तरण की कार्यवाही निम्नवत् शर्तो के अधीन की जायेगी :-

(i) राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार की योजनाओं की भॉति कोषागार के माध्यम से धनराशि की स्वीकृतियॉ, अन्तरण, व्यय एवं अनुश्रवण की कार्यवाही की जायेगी।

(ii) योजनान्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं हेतु आवश्यकतानुसार/वित्तीय नियमों के अनुसार परियोजनावार वित्तीय मॉग के प्रस्ताव सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं द्वारा नोडल विभाग (कृषि विभाग) को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(iii) योजनान्तर्गत निर्माणपरक परियोजनाओं के एस0एल0एस0सी0 से अनुमोदन के पश्चात् सम्बन्धित विभाग/संस्थाएं अपने प्रशासकीय विभाग के सक्षम स्तर से कार्यदायी संस्था नामित कराते हुए प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुसार आगणन अनुमोदन की कार्यवाही कराकर परियोजनावार वित्तीय मॉग के प्रस्ताव नोडल विभाग (कृषि विभाग) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(iv) कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभागवार/संस्थावार राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के अनुसार वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का एक मुश्त अनुमोदन प्राप्त करते हुए विभागवार/संस्थावार/परियोजनावार वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत करने की कार्यवाही की जायेंगी।

(v) राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अनुमोदित/संचालित परियोजनाओं पर वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश प्रभावी होंगे। किसी भी दशा में निर्धारित वित्तीय/प्रशासकीय नियमों की अवहेलना नहीं की जायेंगी।

8. राज्य कृषि विकास योजना का आयोजन एवं कार्यान्वयन :-

8.1- योजना के कार्यान्वयन हेतु कृषि विभाग नोडल विभाग रहेगा। योजना के कार्यान्वयन एवं बजट नियंत्रण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नोडल विभाग के रूप में कृषि विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8.2- नोडल विभाग (कृषि विभाग) के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे :-

(i) परियोजनाओं का अनुमोदन कराना, कार्यान्वयन, निगरानी तथा विभिन्न विभागों तथा कार्यान्वयक एजेंसियों के साथ समन्वय एवं मूल्यांकन को प्रभावी बनाना।

(ii) प्राप्त निधियों का प्रबंधन तथा कार्यान्वयक एजेंसियों के लिए वितरण।

(iii) उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा तिमाही वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु निर्देशात्मक प्रोफार्मा शासनादेश के साथ संलग्नक-2 के रूप में संलग्न है।

9. वित्तीय उपाशय

राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत राज्य बजट से वर्ष 2024-25 हेतु रू0 400.00 करोड़, वर्ष 2025-26 हेतु रू0 450.00 करोड़, वर्ष 2026-27 हेतु रू0 500.00 करोड़ एवं वर्ष 2027-28 हेतु रू0 550.00 करोड़, इस प्रकार प्रथम वर्ष 2024-25 हेतु रू0 400.00 करोड़ एवं 04 वर्ष के लिए रू0 1900.00 करोड़ की **राज्य कृषि विकास योजना** (State Agriculture Development Program) के लिए बजट की व्यवस्था आय-व्ययक में नई मांग के माध्यम से की जाएगी।

10. प्रशासनिक व्यय एवं आकस्मिकताएं

कृषि विभाग को राज्य कृषि विकास योजना की निधियों का 2 प्रतिशत तक प्रशासनिक मद में उपयोग हेतु अनुमत होगा, जिसमें सलाहकार एवं अन्य कार्मिकों के मानदेय आदि का भुगतान, विभिन्न प्रकार के व्यय का वहन करना, स्टॉफ लागत आदि शामिल है तथापि कोई भी नियमित पद सृजित नहीं किया जा सकता है। मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन, अनुश्रवण हेतु प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट (पी0एम0यू0) स्थापित की जायेगी, जिसका गठन निम्नवत् होगा :-

(i)- नोडल अधिकारी, राज्य कृषि विकास योजना (विभागीय अपर कृषि निदेशक स्तर)

(ii)- राज्य सलाहकार

(iii)- विषय वस्तु विशेषज्ञ/परियोजना तकनीकी सहायक

(iv)- लेखाकार

(v)- प्रोग्रामर

(vi)- कम्प्यूटर सहायक/कार्यालय सहायक

(vii)- अनुसेवक

नोट- उपरोक्त क्रमांक-(i) से (vii) तक कार्मिकों की सेवाएं सेवाप्रदाता के माध्यम से प्राप्त की जायेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11. निगरानी एवं मूल्यांकन

(i) राज्य कृषि विकास योजना-प्रबन्धन सूचना प्रणाली (राज्य कृषि विकास योजना-एम0आई0एस0)- योजना सम्बन्धी अनिवार्य सूचना एकत्रित करने के लिए एक एम0आई0एस0/डैश बोर्ड तैयार किया जायेगा। डैश बोर्ड पर सम्बन्धित विभाग/संस्थाएं अपने से सम्बन्धित परियोजनाओं की नियमित रूप से मासिक प्रगति के आंकड़े अद्यतन करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

(ii) योजनान्तर्गत संचालित परियोजनाओं का नियमित मूल्यांकन राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) अथवा अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं से स्वतंत्र थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया जायेगा। थर्ड पार्टी मूल्यांकन हेतु संस्था के चयन/अनुमोदन के लिए सम्पूर्ण अधिकार राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) में निहित होगा।

(iii) थर्ड पार्टी मूल्यांकन पर होने वाले व्ययों की प्रतिपूर्ति योजना के प्रशासनिक मद की 2 प्रतिशत धनराशि के अन्तर्गत की जायेगी।

12. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुः-

(i) प्रदेश में कृषि एवं संवर्गीय उत्पादों को जी0आई0 टैगिंग/ओ0डी0ओ0पी0 के अंतर्गत लाने हेतु किये गए विशिष्ठ कार्यों (बेस्ट प्रक्टिसेस)/ उल्लेखनीय कार्यों को प्रदेश के जनपदों में यथावश्यकता लागू /प्रसारित किया जाएगा।

(ii) राज्य कृषि विकास योजना के लागू होने के पश्चात योजनान्तर्गत वित्त पोषित होने वाले कृषि एवं सम्वर्गीय विभागों द्वारा प्रस्तावित कार्यों हेतु अन्यत्र से धनराशि/नई मांग/एस0एन0डी0 के माध्यम से धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।

(iii) पूर्व संचालित योजनाओं के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम/परियोजना तथा राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों में किसी प्रकार की द्विरावृत्ति (Duplicacy) की रोकथाम के लिए पूर्णत: सर्तकता बरतते हुए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। उक्त योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित होने वाले सभी संबंधित विभागों/संस्थाओं के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि वह योजना/परियोजना केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित किसी योजना में सम्मिलित अथवा वित्त पोषित नहीं है। किसी भी दशा में राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत पूर्व से वित्त पोषित किसी कार्यक्रम/योजना के वित्त पोषण के स्रोत को प्रतिस्थापित (Replacement) नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iv) किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने, मार्केटिंग करने अथवा क्षमता विकास हेतु डिजिटल प्लेटफार्म को विकसित करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी।

(v) पर्यावरण की दृष्टि से राज्य कृषि विकास योजना में उल्लिखित स्ट्रीमों में कृषि कार्यों द्वारा होने वाले वायु, जल प्रदूषण तथा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम किये जाने हेतु एक्शन प्लान के अनुसार कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

13- योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में आवश्यकतानुसार समसामयिक संशोधन/परिवर्तन/ परिवर्द्धन राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की संस्तुति के उपरांत वित्त विभाग की सहमति से माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरांत किया जा सकेगा।

14- कृपया उपरोक्तानुसार सुसंगत नियमों के अन्तर्गत योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त/

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 1/2024/1136(1)/12-3-2023-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2 विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त कुलपति, राज्य कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, उ0प्र कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. आयुक्त/निदेशक/विभागाध्यक्ष, नियोजन विभाग, सहकारिता विभाग, मत्स्य विभाग, रेशम विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, दुग्ध विभाग, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, वन्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पशुधन विभाग, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति/जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानेखड़ा, लखनऊ।
9. प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो, लखनऊ।
10. निदेशक, उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
11. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 बीज विकास निगम, लखनऊ।
12. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपि समस्त सम्बन्धितों को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
16. समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनीत प्रकाश)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक-1

क्र.सं.	क्षेत्र	आधारभूत संरचना का विवरण
1	**कृषि**	
i	प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन	प्रदेश के क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल एवं अतिदोहित विकास खण्डों में वर्षा जल संचयन/प्रबन्धन सम्बन्धी क्रिया कलाप।
ii	कीट प्रबंधन तथा कीट नाशक गुणवत्ता नियंत्रण	• जैव नियन्त्रण एजेंटों के उत्पादन के लिए प्रयोगशालाएं। • राज्य कीटनाशी अवशिष्ट परीक्षण प्रयोगशालाएं। • राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं। • जैव कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं। • जैविक कीटनाशक उत्पादन/नियन्त्रण सम्बन्धी प्रयोगशालाएं। • बीज उपचार ड्रम तथा रसायन आदि।
iii	मृदा पोषक तत्व प्रबंधन उर्वरक जैव उर्वरक/ जैविक खेती	• नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना। • सूक्ष्म पोषक तत्व परीक्षण सुविधाओं के साथ मौजूदा मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण। • नई उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं स्थापित प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण। • जैव उर्वरक उत्पादन इकाईयां। • जैविक उर्वरक उत्पादन/नियन्त्रण सम्बन्धी प्रयोगशालाएं। • फल, सब्जी अपशिष्ट कम्पोस्ट उत्पादन इकाईयों की स्थापना। • प्राकृतिक खेती/जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु संसाधन केन्द्रों की स्थापना (Organic Resources & Grocery Centers)।
iv	बीज	• आधुनिक तकनीकीयुक्त बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं। • बीज विधायन एवं प्रसंस्करण सुविधाऐं। • डिह्यूमिडिफाइड रेफ्रिजरेटेड बीज भण्डारण गोदामों सहित बीज भण्डारण गोदाम। • बीज प्रमाणन अभिकरण तथा प्रमाणन अवसंरचना/उत्तर प्रदेश राज्य बीज विकास निगम की अवसंरचनाओं का सुदृढ़ीकरण। • राजकीय कृषि बीज प्रक्षेत्रों पर स्थाई अवस्थापना एवं इन्हें मॉडल फार्म के रूप में विकसित करना। • विकास खण्ड स्तर पर नवीन किसान कल्याण केन्द्रों की स्थापना।
v	कृषि मशीनीकरण	• कृषि उपकरणों के लिए कस्टम हायरिंग केन्द्र एवं कृषि मशीन परीक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र। • नवोन्मेषी (Innovative) कृषि यन्त्रों/मशीनों के उत्पादन को बढ़ावा देना। • कृषकों को आधुनिक कृषि यन्त्रों/उपकरणों का प्रशिक्षण।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

vi	कृषि विस्तार	• आधुनिक कृषि प्रचार-प्रसार वाहन। • ज्ञान/प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र। • कृषि सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाने के लिए सचल वाहन सुविधाएं। • किसानों को बेहतर सुविधा एवं आय में वृद्धि हेतु डिजिटल प्लेटफार्म एवं तकनीकी का प्रयोग। • कृषि प्रसार सम्बन्धी पूर्व स्थापित भवनों के आधुनिकीकरण/ सुदृढ़ीकरण हेतु बृहद मरम्मत/जीर्णोद्धार तथा फर्निशिंग सम्बन्धी कार्य।
vii	कृषि अनुसंधान	• शासकीय, कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों पर कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अवसंरचना/परिसम्पत्ति सृजन, • कृषि विज्ञान/ज्ञान केन्द्रों आदि का सुदृढ़ीकरण।
viii	आवारा पशुओं की रोकथाम	राजकीय, ग्राम पंचायत/नगर पंचायत की गौ-संरक्षण केन्द्रों पर प्राकृतिक खेती के रिसोर्स सेन्टर के रूप पर विकसित करना।
2	**उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण**	• राजकीय औद्यानिक प्रक्षेत्र एवं नर्सरियों का विकास। • टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाएं। • केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन कृषि विज्ञान केन्द्र, मण्डी परिषद की परियोजनायें। • ग्रीन हाउस/पोली हाउस/शेड नेट हाउस संरचना। • शीत भण्डारण/पूर्व शीतलन, शीत श्रंखला अवसंरचना। • पकाई/क्योरिंग कक्ष। • टर्मिनल/थोक/ग्रामीण मण्डियों का विकास। • बागवानी उत्पाद प्रसंस्करण से सम्बन्धित अवसंरचना। • मिनी सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स आदि।
3	**पशुपालन**	• वीर्य संग्रहण तथा कृत्रिम गर्भाधान (ए0आई0)इकाईयां/उत्पादन केन्द्र एवं प्रजनन फार्म। • पशुओं के लिए पशुशेड की स्थापना। • पशुओं के उपचार के लिए डिस्पेंसरी/अस्पताल। • टीका उत्पादन इकाईयां। • प्रशीतीत वीर्य के भण्डारण तथा परिवहन के लिए शीत श्रृंखला आदि।
4	**डेयरी**	• दुग्ध संग्रह केन्द्र तथा अवसंरचनाएं। • मिल्किंग मशीनों का क्रय। • दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के लिए शीत भन्डारण सुविधा का सुदृढ़ीकरण/विस्तार। • दुग्ध पार्लर/दुग्ध बूथों की स्थापना। • दुग्ध प्रशीतन/दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों में प्रयोगशाला सुविधा का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		सुदृढ़ीकरण। • पशु आहार भंडारण गोदाम की स्थापना। • पशु आहार संयंत्र की स्थापना/सुदृढ़ीकरण। • दुधारू पशुओं के लिए पशु शेड की स्थापना।
5	**मत्स्य पालन**	• सार्वजनिक क्षेत्र के मत्स्य तालाब/जलाशय का विकास। • मत्स्य बीज हैचरी। • बायोफ्लाक/आर.ए.एस./केज-कल्चर तकनीक के माध्यम से मत्स्य पालन। • विपणन अवसंरचना। • मोबाइल फिश पार्लर। • शीत भन्डारण तथा बर्फ संयंत्र।
6	**विपणन एवं पोस्ट हार्वेस्ट**	• समेकित (फल एवं सब्जी) पैक हाउस की स्थापना। • भण्डारण सुविधाओं का विकास (डब्लू.डी.आर.ए. से प्रमाणन की बाध्यता के साथ)। • गुणवत्ता नियन्त्रण अवस्थापना। • नवीन ग्रामीण हाटों का विकास। • मेट्रो परिक्षेत्र/शहरी क्षेत्र (Metro/Urban area) में कोल्ड स्टोरेज/राइपनिंग चैम्बर।

नोट :-

- उपरोक्त कार्यक्रमों की सूची उदाहरणात्मक (illustrative) है। प्रदेश एवं सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं/स्थानीय समसामयिक आवश्यकताओं के अनुसार वांछित अवस्थापना/परिसम्पत्ति सृजन सम्बन्धी कार्यक्रम/गतिविधियॉ राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) के अनुमोदन से सम्मिलित किये जा सकेंगे।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में स्थापित अवसंरचनाओं की सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर/बाउण्ड्रीवाल/फेन्सिंग आदि की सुविधायें अनुमन्य होंगी।
- समस्त निर्माणपरक कार्य यू0पी0पी0डब्लू0डी0 की प्रचलित दरों पर ही अनुमन्य होगें।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।